प्रेषक

महानिदेशक,
राज्य परिवहन, हरियाणा।

सेवा में,

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,

क्रमांक 3316-38 /टी0आई-3
दिनांक 10-7-2013

विषयः– बिना सवारी सामान बस में ले जाने/लाने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1508–31/टी0आई–4 दिनांक 20.07.2011 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त पत्र द्वारा आपकों निर्देश दिये गय थे की कोई भी चालक/परिचालक सवारी के बिना किसी प्रकार का सामान न तो अपनी बस में रखवायेगा और न ही उसे लेकर आयेगा। प्रायः यह देखने पर आया है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है जो कि एक गंभीर मामला है।

अतः आपको पूनः निर्देश दिये जाते है कि आप अपने अधीन कार्यरत सभी चालको एवं परिचालकों को निर्देश जारी करे कि वे उनकी बस में सवारी के बिना किसी प्रकार का सामान न तो रखवायें और न ही उसे अपनी बस में लेकर चले। अगर कोई चालक या परिचालक ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके वेतन में से 1000–1000 रुपये की रिकवरी करते हुए उनके विरुद्व विभागीय कार्यवाही की जाये।

इन निर्देशो की अनुपालान दृढ़ता से की जाये।

कृते: महानिदेशक,
राज्य परिवहन, हरियाणा।
10/7/13